

30प्र0 आवास विकास परिषद की
बरेली जोन के अन्तर्गत
बरेली, शाहजहाँपुर, चन्दौसी तथा मुरादाबाद
की सम्पत्तियों का
आवंटन/नीलाभी



आवंटन/नीलाभी तिथि:
29.12.2018
— समय —
11:00 बजे

स्थल

समुदायिक केन्द्र, बौद्ध विहार योजना,
मुरादाबाद

आवासीय सम्पत्तियों का विवरण (नीलामी द्वारा)

भवन/भूखण्डों का प्रकार एवं सम्पत्ति संख्या	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल (व०मी० में)	आरक्षित मूल्य (लाख में)/ आरक्षित दर (प्रति व.मी.)	बयाना धनराशि/ टोकन मनी (लाख में)
सम्भल गेट योजना संख्या-1, चन्दौसी				
अल्प आय वर्ग भवन (29/60 प्रकार) अनारक्षित-2/744	01	61.88 व.मी.	16.20	0.85
जिगर विहार योजना, मुरादाबाद				
आवासीय भूखण्ड (171 व.मी. से बड़े)				
अनारक्षित-ए/478	01	296.79 (कान्नर)	27104 प्र.व.मी.	4.03
अनारक्षित-ए/479	01	277.93	24640 प्र.व.मी.	3.43
अनारक्षित-ए/481	01	250.50	24640 प्र.व.मी.	3.09
अनारक्षित-ए/482	01	259.00	24640 प्र.व.मी.	3.19
अनारक्षित-ए/483	01	266.50	24640 प्र.व.मी.	3.29
अनारक्षित-ए/484	01	277.00	24640 प्र.व.मी.	3.42
अनारक्षित-ए/485	01	290.00	24640 प्र.व.मी.	3.58

अनावासीय सम्पत्तियों का विवरण (नीलामी द्वारा)

सम्पत्ति संख्या व प्रकार	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल (व०मी० में)	आरक्षित मूल्य (लाख में)/ आरक्षित दर (प्रति व.मी.)	बयाना धनराशि/ टोकन मनी (लाख में)
लाजपत नगर योजना, मुरादाबाद - दुकानें				
एस-71	01	17.49	11.61	1.16
एस-72, 73	02	16.89	11.27	1.13
एस-81, 82, 83, 84	04	16.52	11.06	1.11
एस.एफ.-71	01	16.07	9.52	0.95
एस.एफ.-60	01	13.38	8.01	0.80
एस.एफ.-62, 96	02	7.72	4.85	0.49

नोट: नीलामी में प्रतिनिधि के रूप में सम्पत्ति पर बोली बोलने का अधिकार तभी मान्य होगा जब अधिकार पत्र/पॉवर ऑफ एटॉर्नी नोटेरी द्वारा सत्यापित हो।

सम्पत्तियों के पुर्नजीवन/निरसतीकरण/कोर्ट केस के स्थगन व अन्य कारणों से सम्पत्तियों की संख्या में घट बढ़ हो सकती है।

आवंटन/नीलामी के माध्यम से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियों पर सम्पत्ति के मूल्य का 05 प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर जो 'उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद' के नाम तथा संबंधित नगर पर देय हो। आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप पर बैंक ड्राफ्ट एवं आवश्यक शपथ पत्र सहित आवंटन की तिथि से दो दिन पूर्व तथा नीलामी हेतु सीलड बिड नीलामी की तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व तक संबंधित स्थानीय कार्यालय में दी जा सकती है तथा खुली बोली हेतु नीलामी फार्म जमा करके टोकन एक दिन पूर्व भी संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। चैक/नकद स्वीकार नहीं होगा। जिन सम्पत्तियों को ऑफर हुए दो वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं तथा उन्हें नीलामी में कम से कम तीन बार शामिल न किया गया हो, ऐसे मामलों में एकल बोली या ऑफर (बिड) सक्षम स्तर से ही निरस्त कर दी जायेगी। सम्पत्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय/परिषद की वेबसाइट से की जा सकती है।

सम्पत्तियों की संख्या घटकर बढ़ सकती है।

सर्शत (कन्डीशनल) एवं अपूर्ण आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे, तथ्यों को छिपाकर शपथ पर प्रस्तुत करने पर जमा की गई सम्पूर्ण धरराशि जब्त कर ली जायेगी। नीलामी के माध्यम से आवंटित सम्पत्तियों को आवेदकों द्वारा न लिये जाने की स्थिति में उनके द्वारा जमा सम्पूर्ण टोकन धनराशि जब्त कर ली जायेगी। आवंटन हेतु आवेदन फार्म कार्यालय से निर्गत किए जायेंगे। आवेदन फार्म जमा करने से पूर्व फार्म का, कार्यालय से परीक्षण कराया जा सकता है।

शासनादेश के अन्तर्गत जी.एस.टी. की जो भी दर/जिस तिथि से निर्धारित होगी, उसका भुगतान तदानुसार अलग से करना होगा।

सम्पत्ति प्रबन्धक

सामान्य मूल्यांकन पर आवंटित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण (लाटरी द्वारा)

भवन/भूखण्डों का प्रकार	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल (व०मी० में)	अनुमानित मूल्य (लाख में)/ प्रति व.मी.	बयाना धनराशि/ टोकन मनी (लाख में)
बैम्बे योजना सी०बी० गंज, बरेली				
बैम्बे भवन-5 नग (59, 130, 140, 180, 182 (समस्त भवन ओ०बी०सी०) निरस्तीकरण से प्राप्त) (डूडा कार्यालय बरेली से प्राप्त लाभार्थियों की सूची के आधार पर ही बैम्बे भवनों का आवंटन किया जायेगा)	05	25.00	0.20 प्रति नग	0.05

अनावासीय सम्पत्तियों का विवरण (नीलामी द्वारा)

भवन/भूखण्डों का प्रकार	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल (व०मी० में)	अनुमानित मूल्य (लाख में)/ प्रति व.मी.	बयाना धनराशि/ टोकन मनी (लाख में)
राजेन्द्र नगर योजना संख्या-02, बरेली				
हाल्स द्वितीय तल				
एस०एफ०एच०-3	01	77.55	43.42	4.34
एस०एफ०एच०-4	01	77.55	43.42	4.34
दुकान (ई ब्लॉक) - 11	01	16.00	10.51	1.10
दुकान (ई ब्लॉक) - 12	01	39.954	25.74	2.80
बरेली मोड़ योजना संख्या -03, शाहजहांपुर				
व्यवसायिक भूखण्ड				
1/कॉम-9	01	341.56	20160 प्र.व.मी.	6.89
1/कॉम-10	01	338.22	20160 प्र.व.मी.	6.82
1/कॉम-11	01	334.80	20160 प्र.व.मी.	6.75
1/कॉम-12	01	331.39	20160 प्र.व.मी.	6.68

नोट: नीलामी में प्रतिनिधि के रूप में सम्पत्ति पर बोली बोलने का अधिकार तभी मान्य होगा जब अधिकार पत्र/पाँवर ऑफ एटॉर्नी नोटेरी द्वारा सत्यापित हो।

आवंटन/नीलामी के माध्यम से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियों पर सम्पत्ति के मूल्य का 05 प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर जो "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद" के नाम तथा संबंधित नगर पर देय हो। आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप पर बैंक ड्राफ्ट एवं आवश्यक शपथ पत्र सहित आवंटन की तिथि से दो दिन पूर्व तथा नीलामी हेतु सीलड बिड नीलामी की तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व तक संबंधित स्थानीय कार्यालय में दी जा सकती है तथा खुली बोली हेतु नीलामी फार्म जमा करके टोकन एक दिन पूर्व भी संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। चैक/नकद स्वीकार नहीं होगा। जिन सम्पत्तियों को ऑफर हुए दो वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं तथा उन्हें नीलामी में कम से कम तीन बार शामिल न किया गया हो, ऐसे मामलों में एकल बोली या ऑफर (बिड) सक्षम स्तर से ही निरस्त कर दी जायेगी। सम्पत्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय/परिषद की वेबसाइट से की जा सकती है।

सम्पत्तियों के पुर्नजीवन/निरस्तीकरण/कोर्ट केस के स्थगन व अन्य कारणों से सम्पत्तियों की संख्या में घट बढ़ हो सकती है। सम्पत्ति का आवंटन/नीलामी "सम्पत्ति जहां है जैसी है" के आधार पर किया जायेगा।

सर्शत (कन्डीशनल) एवं अपूर्ण आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे, तथ्यों को छिपाकर शपथ पर प्रस्तुत करने पर जमा की गई सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नीलामी के माध्यम से आवंटित सम्पत्तियों को आवेदकों द्वारा न लिये जाने की स्थिति में उनके द्वारा जमा सम्पूर्ण टोकन धनराशि जब्त कर ली जायेगी। आवंटन हेतु आवेदन फार्म कार्यालय से निर्गत किए जायेंगे। आवेदन फार्म जमा करने से पूर्व फार्म का, कार्यालय से परीक्षण कराया जा सकता है।

शासनादेश के अन्तर्गत जी.एस.टी. की जो भी दर/जिस तिथि से निर्धारित होगी, उसका भुगतान तदानुसार अलग से करना होगा।

सम्पत्ति प्रबन्धक

सामान्य नियम व शर्तें

- समस्त सम्पत्तियों की नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी तथा नीलामी में भाग लेने विषयक सील्ड बिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रू. 107/- जमा कर सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
- सम्पत्ति सम्बन्धी विस्तृत जानकारी सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है तथा परिषद की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
- आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के कुल मूल्य का 05 प्रतिशत् एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों में सम्पत्ति के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत् धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो 05:30 प्र0 आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय हो के साथ निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर (आवेदन पत्र दिनांक तक तथा सील्ड बिड नीलामी से एक दिन पूर्व) कार्यालय कार्यदिवस में सांय 05:00 बजे तक सम्बन्धित सम्पत्ति कार्यालय में जमा करना होगा। नीलामी तिथि को प्रातः 10:30 बजे तक टोकन निर्गत किये जायेंगे। तदोपरान्त प्रातः 11:00 बजे से नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
- निर्माणाधीन भवनों/फ्लैटों के आवंटन पर नियमानुसार कुल मूल्य पर 12.00 प्रतिशत् जी0एस0टी0 देय होगा।
- सम्पत्तियों की संख्या में कारणोवश कमी होना सम्भाव्य है।
- किसी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त (म0) का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
- सम्पत्ति आवंटन/नीलामी सम्बन्धी नियम व शर्तों एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.in> से प्राप्त की जा सकती है।



परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिये

जन सुविधा केन्द्र

1800-180-5333 (टोल फ्री), **0522-2236803**

की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।

यह सेवा प्रत्येक

कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से
सांय 5.00 बजे तक उपलब्ध है।



(सर्वोत्तम प्रमाणित)

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

सर्वोत्तम प्रमाणित संस्था

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Web: <http://www.upavp.in>, E-mail: info@upavp.com

